

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 3040 / 12-1
सेवा में,

दिनांक मार्च-02/04/2016।

अधिसासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
गैरसैंण।

विषय:- दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर राजि, देवाल का पत्रांक 460/12 दिनांक 30-03-2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर राजि द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग के प्रस्ताव हेतु आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम बेहतरा हिमनी की सिविल भूमि में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर खेत बनाये गये हैं, चयनित भूमि पूर्ण रूप से खाली न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं हैं।

अतः आप अपने स्तर से किसी अन्य भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि उक्त भूमि का निरीक्षण कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया जा सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।